निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 153/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

कमली देवी पुत्री श्री रामदेव पत्नी गोपी जाट निवासी 514, किशोरपुरा, तहसील व जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री विष्णु कुमार गोयल आर.एस.एस. पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर, जयपुर द्वितीय।
2. छीतर मल पुत्र रामदेव
3. भैरू पुत्र रामदेव

   जाति जाट, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर ।

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 33/2020 ब उनवानी कमली देवी बनाम छीतर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री रामकिशोर रोनालिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 02.12.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 33/2020 ब उनवानी कमली देवी बनाम छीतर व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अधिवक्ता श्री प्रकाश शर्मा ने छीतर मल भैरू पुत्रान रामदेव जाति जाट की ओर से आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थिया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रस्तुत किया था जिसके निस्तारण तक न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2021 तारीख पेशी नियत की गई थी। इसी दौरान पीठासीन अधिकारी का तबादला होकर वापस इसी

न्यायालय में नियुक्त हो गये। दिनांक 11.10.2021 को प्रार्थिया कोर्ट में उपस्थित हुई तो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थिया को टी आई प्रार्थना पत्र पर बहस करने व बाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कहा, जिस पर प्रार्थिया द्वारा एक अवसर चाहा गया तो पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि आप बहस करो तो ठीक है अन्यथा टी आई को मै आदेश में लगा दूंगा और साक्ष्य बंद कर दूंगा। प्रार्थिया द्वारा बार बार निवेदन करने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा टी आई को बहस आदेश में लगा दिया तथा साक्ष्य स्वतः बन्द हेतु आदेशिका में अंकित कर दिया और कहा कि आपका उक्त प्रकरण में कोई लेना देना नही है जबरन प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान कर रहे हो । आप बहस करो तो ठीक है अन्यथा भी प्रकरण का निस्तारण आपके विरुद्ध कर दिया जायेगा । इससे प्रार्थिया को यह अन्देशा हो गया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पीठासीन अधिकारी से मिले हुये है तथा पहले से ही इसको प्रार्थिया के विरुद्ध निस्तारित करने का मानस बना रखा है जिससे प्रार्थिया को न्याय की उम्मीद नही है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर उक्त प्रकरण मे निर्णय अपने पक्ष में करवाना चाहते है तथा गत चार पांच दिनों से पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे रहते है। आज तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया को धमकी दी कि हमारी पीठासीन अधिकारी साहब से बात हो चुकी है। उक्त प्रकरण का निर्णय जल्दी हमारे पक्ष में करवा लेंगे। पूर्व में भी प्रार्थिया द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो पीठासीन अधिकारी का तबादला हो जाने के कारण खारिज हो गया। अप्रार्थीगण की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थिया आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे हुआ। जब अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है तो फिर प्रार्थिया को न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थिया एक गरीब काश्तकार महिला है जो अपने अधिकारों को लिये सहायक कलक्टर में वाद प्रस्तुत कर अपनी भूमि का विधिक घोषणा करवाने के लिये लड रही है तथा प्रार्थिया के वाद अधीन भूमि के अलावा अन्य कोई जीविकापार्जन का साधन नहीं है । अप्रार्थीगण अपनी गैरकानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थिया के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को खारिज करा देंगे तो प्रार्थिया अपने अवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगी। ऐसी स्थिति मे न्याय की दृष्टि से प्रार्थिया के मुकदमें को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. प्रकरण में छीतर व भैरू पुत्रान रामदेव जाति जाट ने जरिये अधिवक्ता श्री प्रकाश शर्मा के आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निम प्रार्थीगण जो कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी है, को उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में जानबूझ कर पक्षकार नही बनाया गया है, ताकि वास्तविक तथ्य मान्य न्यायालय के समक्ष नहीं आ सके तथा प्रकरण को अनावश्यक रूप से प्रार्थिया द्वारा लम्बा किया जा सके। जिससे वह अन्तरिम निषेधाज्ञा की आड में निम प्रार्थी को हैरान व परेशान कर सकें । उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुये निम प्रार्थी छीतर व भैरू पुत्रान रामदेव जाति जाट

को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये जाने के आदेश फरमावें तथा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले में प्रार्थी छीतर व भैरू पुत्रान रामदेव जाति जाट आवश्यक पक्षकार है, जिनको प्रार्थिया ने इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है और इन्ही के द्वारा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने व प्रार्थिया को धमकी देने का आरोप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाया है। इसलिए न्याय हित में प्रार्थी श्री छीतर मल व भैरू जाति जाट निवासी माचवा तहसील जयपुर का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी बाबत बनाये जाने पक्षकार स्वीकार किया जाता है तथा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया जाता है।

8. उक्त प्रकरण सर्व प्रथम सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष विचाराधीन था, जिसमें प्रार्थिया ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति में शंका जाहिर कर दिनांक 21.11.2019 को प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार कर दिनांक 26.12.2019 को सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में उक्त प्रकरण को मुन्तकिल किया गया है। इसके पश्चात प्रार्थिया द्वारा ही पुन दिनांक 23.02.2021 को सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के विरुद्ध मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दिनांक 30.03.2021 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया है। तत्पश्चात अब पुनः प्रार्थिया द्वारा यह तीसरी बार पुनः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। सम्पूर्ण मामले का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि प्रार्थिया के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन जारी है, इसलिये प्रार्थिया की बार बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर येनकेन प्रकारेण मामले को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने की मन्शा स्पष्ट जाहिर होती है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों विपरीत है। ऐसी मानसिकता पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। इसलिए हम इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को कोस्ट लगा कर खारिज किया जाना उचित समझते है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र 1500/–रुपये (अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये) की कोस्ट लगाते हुये खारिज किया जाता है।

9. प्रार्थिया कोस्ट की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महानगर जयपुर में जमा करा कर रसीद की फोटो प्रति इस न्यायालय एवं सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन वाद में प्रस्तुत करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

2/12/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर